



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान व्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर

दुसरी मंजील, जीएसआई फ़िल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स,
पोस्ट-विधान सभा, रायपुर (छ.ग) 492005, फोन- 0771—2282530 / 2285590 / 95

मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com / ro.raipur@ibm.gov.in

संख्या: RAP/LST/MPLN-1162/2018-RPR

दिनांक - 2.08.2018

प्रेषिति : प्रबंध संचालक

सर्वश्री छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सोनाखान भवन, रिंग रोड नं. -1, ग्राम—पुरेना, पोस्ट—रविग्राम, रायपुर
छत्तीसगढ़ 492 006

विषय: खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 24 के अंतर्गत प्रस्तुत निकट ग्राम — बरीमा, तहसील — सीतापुर, जिला — सरगुजा (छग) में स्थित बॉक्साइट खान, क्षेत्रफल — 11.705 हैं। की खान बंद करने की अंतिम योजना की प्रस्तुति।

महोदय,

आप द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त क्षेत्र की खान बंद करने की अंतिम योजना की जाँच के उपरांत इसमें कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गई हैं। संलग्नक में दर्शाई गयी कमियों/त्रुटियों को सुधारते हुए खान बंद करने की अंतिम योजना की (3) तीन स्वच्छ बाउण्ड प्रतियां एवं 2 सॉफ्ट कॉपी (CD) इस पत्र के जारी होने की तिथि से (15) दिनों की अवधि में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि तीन स्वच्छ प्रतियों के प्रत्येक पृष्ठ पर अहित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। तथा बिन्दुवार कमियां सुधार का विवरण भी प्रस्तुत करें।

आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप खान बंद करने की अंतिम योजना की तीन स्वच्छ बाउण्ड प्रतियां पूर्ण सावधानी से तैयार करें अन्यथा पुनः कमियाँ/त्रुटियाँ पाए जाने की अवस्था में यह आपको संशोधनार्थ न लौटाते हुए इस पर अंतिम कार्रवाई कर दी जायेगी।

भवदीय

संलग्न: यथोपरि।

(बी.एल.गुर्जर)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान व्यूरो

प्रतिलिपि:

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान व्यूरो, नागपुर। (ई मेल द्वारा)
2. श्री उपेन्द्र कुमार पाण्डे, क्षेत्रीय अधिकारी एवं अहित व्यक्ति, सीएमडीसी लि., एचआइजी-3, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, नमनाकलां, अम्बिकापुर, जिला—सरगुजा, — 497 001 (छग)।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान व्यूरो

Scrutiny comments in respect of the Final Mine Closure Plan of Barima Bauxite mine, area 11.705 ha, lessee M/s Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited, in village Barima, Tehsil Sitapur, District -Surguja, Chhattisgarh, submitted under Rule 24 of MCDR 2017. Site inspected on 15.04.2018 by J.S. Hada, Assistant Mining Geologist.

1	Copy of Board Resolution for declaration of nominated owner as per Mines Act 1952 has not been enclosed.
2	Para 1.0 part A: Reasons of surrendering the area: Reasons for closure of mining operations have not been specifically mentioned.
3	The document does not have pages serially numbered.
4	Para 6.10: Three boreholes have been proposed to be drilled but location of the same have not been given in text nor marked on Geological Plan plate no. 7.
5	Chapter VI, para 10.0: Description is given about manganese mineral, needs to be corrected.
6	Surface plan /geological plan shape of lease area is not matching with lease area plan. A lease plan superimposed on khasara plan authenticated by state authorities needs to be submitted.
7	All the Certificates/ Consents/Undertakings and Annexures to be enclosed at the end of the text part/FMCP format.
